**न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**
**(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)**

**अपील संख्या 2022/21** **दायरा दिनांक : 08.03.2022**

**उनवान**

कान्हा आत्मज शंकर, जाति चमार, निवासी सेमली जस्सा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राज.

.... अपीलांट

**बनाम**

1. काली बाई पुत्र शंकर पति कालूलाल, जाति चमार, निवासी सेमली जस्सा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राज. मृतक जर्ये वारिस एवं कायमुकाम :–
   1/1. चन्द्रकला पुत्री कालूलाल
   1/2. चौथमल पुत्र कालूलाल
   1/3. बजरंगलाल पुत्र कालूलाल
   1/4. बालचन्द पुत्र कालूलाल
   1/5. संतोष बाई पुत्री कालूलाल
   अकवाम जाति मेघवाल, निवासी हतुनिया, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राज.

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

**निर्णय** **दिनांक : 22.12.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 118/दावा/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट कम 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम सेमली जस्सा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राजस्थान की आराजी खतौनी संख्या नई 14 की खसरा नं. 17 रकबा 4

**(दीप्ति रामचन्द्र मीना)**
**भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन**
**राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**

बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 17/235 रकबा 3 बीघा कुल 2 किता रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2015 से वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एव डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की सहमति के बिना प्रकरण राजस्व लोक अदालत केम्प पर रखकर प्रकरण निर्णित करने पर त्रुटि की है कानूनन लोक अदालत में उन्ही प्रकरणों को रखा जाना चाहिये जिनमें दोनो पक्षकार राजीनामे के लिये सहमत हो वह लिखित में आवेदन पेश करे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण बिना सहमति पक्षकारान लोक अदालत केम्प पर रखकर पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रकरण को निर्णित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनाक 27.04.2015 से स्पष्ट है कि प्रकरण में जवाब दावा हेतु 22.06.2015 तारीख नियत की गई थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सूचना प्रकरण केम्प कुंडी खेडा पर रख दिया और 26.06.2015 तारीख नियत कर दी परन्तु 26.06.2015 को कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं होने से पुनः राजस्व लोक अदालत केम्प मुख्यालय पर दिनांक 24.07.2015 को रख दी एवं वादी व प्रतिवादी की अनुपस्थिति में कानूनी प्रावधानो के विपरीत प्रकरण का मेरिट पर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। लोक अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित करने में सिविल प्रक्रिया संहिता एवं राजस्व लोक अदालत के नियमो की पूर्ण रूप से अनदेखी कर बिना सहमति पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में निर्णय पारित करने में त्रुटि की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के मामले में विधि में निहित प्रावधानों पर उचित गोर नही फरमाया साक्ष्य के बिना एवं दस्तावेज साबित किये बिना कानूनन दावा डिक्री नही किया जा सकता यदि दिनांक 24.07.2015 को वादिनी उपस्थित नही थी तो वाद अदम हाजरी एवं अदम पेरवी में खारिज फरमाया जाना चाहिये। विवादित आराजी में रेस्पोडेंट का कोई हक व अधिकार नही बनता जवाब दावा का उचित अवसर न मिलने के कारण जवाब दावा पेश नही कर सके। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनसथ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.07.2015 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे की वह अपीलांट को जवाब देते हुऐ तनकी कायम कर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर विधिवत तरीके से प्रकरण का पुनः निस्तारण करे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 02.02.2020 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की सहमति के बिना प्रकरण राजस्व लोक अदालत केम्प पर रखकर प्रकरण निर्णित करने पर त्रुटि की है कानूनन लोक अदालत में उन्ही प्रकरणों को रखा जाना चाहिये जिनमें दोनो पक्षकार राजीनामे के लिये सहमत हो। अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया। दिनांक 26.06.2015 को अधीनस्थ न्यायालय में दोनों पक्षकार उपस्थित नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.07.2015 को पक्षकारान के अनुपस्थित रहने पर लोक अदालत में निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादिया रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् एक वाद इस आशय का पेश किया है कि वादिया के खाते काश्त की आराजी मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 वाके ग्राम सेमली जस्सा, तहसील पचपहाड की आराजी खतोनी संख्या नई 14 व पुरानी 14

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खसरा नं. 17 रकबा 4.05 बीघा, खसरा नं. 17/235 रकबा 3 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 7.05 बीघा वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती खातेदारी एवं सयुंक्त कब्जेकाश्त की अविभाजित आराजियात है, जिस पर वादिया 1/2 हिस्से की सहखातेदार है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी का बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 के मध्य किया जाकर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी 1/2 हिस्सा वादिया के पृथक खाते दर्ज करके वादिया का हिस्सा मौके पर चिन्हित करने के आदेश प्रदान करे।

उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.07.2015 से वाद वादिया आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के मध्य हिस्से अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी को देखते हुए बंटवारा करने एवं खाता अलग कायम किये जाने का निर्णय पारित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा न्यायालय हाजा में अपील पेश कर मुख्य रूप से कथन किया है कि प्रकरण में दिनांक 27.01.2015 को जवाबदावा हेतु दिनांक 22.06.2015 तारीख नियत की गई परन्तु पक्षकारों को सूचित किये बिना ही प्रकरण दिनांक 26.06.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कुंडीखेडा में रख दिया। उक्त दिनांक को अगली तारीख 24.07.2015 को नियत कर दिनांक 24.07.2015 को पक्षकारान की अनुपस्थिति में लोक अदालत के प्रावधानों के विपरीत प्रकरण का निर्णय कर वाद डिक्री कर दिया। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाये।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आदेशिका के अवलोकन अनुसार दिनांक 22.06.2015 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कुण्डी खेडा में दिनांक 26.06.2015 को सुनवाई हेतु रखी गई परन्तु इससे पूर्व की आदेशिका के अवलोकन से लोक अदालत कैम्प कोर्ट में सुनवाई हेतु उपस्थित होने के क्रम में पक्षकारान को नोटिस जारी करने की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आदेशिका के अवलोकन से नहीं होती है। दिनांक 26.06.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कुण्डीखेडा में पक्षकारान के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.07.2015 नियत की गई। दिनांक 24.07.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प मुख्यालय पर पक्षकारान की अनुपस्थिति में वाद वादिया स्वीकार कर निर्णय पारित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गई। लोक अदालत के विधिक प्रावधानों के अनुसार लोक अदालत में केवल पक्षकारान की आपसी सहमति से उनकी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपस्थिति में ही प्रकरण का निस्तारण करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की जा सकती है। लोक अदालत में प्रकरण को सुनवायी हेतु रखने से पहले इस सन्दर्भ में पक्षकारान को सुनवायी हेतु उपस्थित होने के क्रम में विधिवत नोटिस जारी किया जाना भी आवश्यक प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत की भावना एवं विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.07.2015 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तनकीवार विवेचन के पश्चात प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.02.2026 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/12/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा